

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 21/11/22

:: आदेश ::

श्री भवानी शंकर शर्मा, अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन), बीकानेर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। श्री भवानी शंकर शर्मा की सेवा अवधि में दिनांक 01.08.22 से कार्यमुक्ति की दिनांक तक के लिए वृद्धि की जाती है।


आज्ञा से,

हुप  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर।
- 8 अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन), बीकानेर।
- 9 जिला कलक्टर, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन), बीकानेर के पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर की अनुशंसा/ परामर्श उपरान्त कम से कम 03 अधिकतम सम्भवत 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल मय बायोडाटा एवं घोषणा पत्र के साथ अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें। साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने तक वर्तमान में कार्यरत किसी लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन), बीकानेर में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु निर्देशित करते हुये इस विभाग को अवगत करावें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
21/11/22  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण